भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1162

दिनांक 06 दिसम्बर, 2021 को उत्तर देने के लिए

रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पुनरूद्धार

1162. सुश्री देबाश्री चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बंद हो चुकी रूग्ण सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/औद्योगिक एककों के पुनरूद्धार की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो उन पीएसयूज़/औद्योगिक इकाइयों का राज्य/स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां पुनरूद्धार योजना कार्यान्वित की जा रही है; और
(ग) रूग्ण/बंद पड़ी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के श्रमिकों को आजीविका प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

उत्तर
वित्त राज्य मंत्री
(डॉ. भागवत किशनराव कराड)

(क) और (ख): सरकार ने फरवरी, 2021 में नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम ("पीएसई") नीति को अधिसूचित किया है जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रणनीतिक क्षेत्रों में होल्डिंग कंपनी स्तर पर मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को सरकारी नियंत्रण में रखा जाएगा। रणनीतिक क्षेत्र में शेष उद्यमों का निजीकरण या विलय करने या किसी अन्य पीएसई के सहायक बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाएगा । गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में जहां व्यवहार्य हो, सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों के निजीकरण के लिए, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने पर विचार किया जाएगा ।

(ग): बंद किए जा रहे सीपीएसईज़ के कर्मचारी, लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के वीआरएस/वीएसएस दिशा-निर्देशों के अनुसार मुआवजे के हकदार हैं। इसके अलावा, सरकार वीआरएस/वीएसएस के तहत पृथक हुए सीपीएसईज़ के कर्मचारियों के लिए परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण और पुनर्तैनाती (सीआरआर) योजना लागू कर रही है। इन अलग हुए कर्मचारियों या उनके आश्रितों को स्वरोजगार/मजदूरी के लिए सीआरआर योजना के तहत अल्पावधि कौशल प्रशिक्षण का अवसर मिलता है ।

*****